न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 41/2023

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

गोमाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेगवाल
निवासी डूडीयों का तला सरली
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

1. रमेशनाथ पुत्र भंवरनाथ जाति सामी (स्वामी) निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
2. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध में नामान्तरकरण सं. 119 दिनांक 16.05.2016 को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 42/2023

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

गोमाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेगवाल
निवासी डूडीयों का तला सरली
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

1. पुनमा पुत्र धना जाति सामी (स्वामी) के वारीशान
   1/1 भंवरलाल (भंवरा) पुत्र पुनमनाथ (पुनमा)
   1/2 मोहननाथ (मोहन) पुत्र पुनमनाथ (पुनमा) जाति सामी (स्वामी) निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
2. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
3. सरपंच ग्राम पंचायत सांजटा

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध में नामान्तरकरण सं. 141 दिनांक 20.04.1974 को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– उपर्युक्त दोनो प्रकरणों में–

1. श्री नृसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवानीसिंह चौहरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 12/02/2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनो ही प्रार्थना–पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से इनका एक ही संयुक्त आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा हैं। निर्णय ही एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. संक्षेप में रेफरेंस आवेदन पत्रों के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांजटा तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 82–8 बीघा भूमि भू प्रबंध के समय खातेदार खेता पुत्र रावता व जोधा वल्द रूपा कौम भाम्भी की खातेदारी में आया था। खातेदार खेता वल्द रावता फोत होने पर उसकी पत्नि रूपा एवं जोधा वल्द रूपा फोत होने पर उसके वारिश जगा पुत्र जोधा के नाम से नामान्तरकरण भरा गया तथा इनके नाम खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त खेत खसरा नम्बर 342 के खातेदारान रूपा बेवा खेता द्वारा अपना हिस्से की भूमि सुखराम पुत्र पुनमाराम मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा एवं पुनमा वल्द धना जाति सामी (स्वामी) निवासी सांजटा को बेचान किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 118 एवं 141 पारित किया गया। जिसमे मूल विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग से तथा क्रेता खातेदार ओ.बी.सी. वर्ग से है एवं इन पृथक–पृथक दो वर्गो के मध्य कृषि जोत का हस्तान्तरण धारा 42 (ख) के प्रतिकूल है। उक्त दोनो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध पारित होने से निरस्त करने हेतु यह दोनो रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. रेफरेन्स आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. प्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने यह प्रकट किया कि ग्राम सांजटा तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 82–8 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खेत खसरा का बेचान कर दोनो नामान्तरकरण पारित किये गये जिसमें मूल विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग से तथा क्रेता खातेदार ओ.बी.सी. वर्ग से है एवं इन पृथक–पृथक दो वर्गो क मध्य कृषि जोत का हस्तान्तरण धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल किया गया उक्त दोनो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हे।

5. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि ग्राम सांजटा तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 82–8 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खेत खसरा का बेचान [illegible] मोहननाथ पि. पुनमा को किया गया था जो अनुसूचित जाति मेघवाल का सामी दर्ज है एवं इनका परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पीढ़ियों से ही अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत हैं। अतः दोनो रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने यह प्रकट किया कि ग्राम सांजटा तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 82–8 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खेत खसरा का बेचान कर दोनो नामान्तरकरण पारित किये गये जिसमें मूल विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग से तथा क्रेता खातेदार ओ.बी.सी. वर्ग से है एवं इन पृथक–पृथक दो वर्गो के मध्य कृषि जोत का हस्तान्तरण धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल किया गया उक्त दोनो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि ग्राम सांजटा तहसील बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 82–8 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खेत खसरा का बेचान अप्रार्थी भंवरलाल मोहननाथ पि. पुनमा को किया गया था जो अनुसूचित जाति मेघवालो का सामी दर्ज है एवं इनका परिवार पीढ़ियों से ही अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत हैं। इस प्रकार उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों के सत्यापन हेतु अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाड़मेर ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 185 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा अवगत कराया हैं कि अप्रार्थीगण के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में निहित विधिक बिन्दु का निस्तारण इसी प्रक्रम में तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट से हो जाता हैं। जब क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही एक ही जाति वर्ग से होने पर धारा 42(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं। अतः दोनो रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः प्रार्थी के दोनो प्रार्थना–पत्रों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

8. आदेश आज दिनांक 12.2.2025 को सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर